कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–~~916~~/2575 नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कवर्धा वन मंडल, कवर्धा
छत्तीसगढ़

विषयः— **कवर्धा जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network लिमिटेड द्वारा 4G OFC Cable line Dhawaipani to Banjari Village is Bhoramdev Wildlife Saecnctuary Kawardha हेतु क्षेत्रफल 0.719 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

— **पंजीयन कमांक — FP/CG/OFC/15844/2022**

संदर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.अधि./7597 दिनांक 27.10.2023
2. वनमंडलाधिकारी कवर्धा का पत्र क्रमांक/तक.अधि./2491 दिनांक 19.10.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण इस कार्यालय द्वारा किया गया जिसमें ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियां पायी गई, जो निम्नानुसार है :—

ऑनलाईन कमियां :—

1. प्रस्तावित प्रकरण भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत नहीं लिया गया है।

2. Form-A (Part-II) के बिन्दु क्रमांक–5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वन भूमि लेख किया गया है परन्तु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। भाग–2 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जाना होगा।

3. Form-A (Part-II) के बिन्दु क्रमांक–6 में हरियाली का घनत्व भी निरंक लेख किया गया है, जबकि ऑनलाईन में 0.5 घनत्व दिखा रहा है। इस हेतु सुधार आवश्यक है।

4. बिन्दु क्रमांक–4 में प्रतिपूरक वनीकरण की जानकारी आवश्यक नहीं होने का लेख है, चूंकि प्रकरण वन्यप्राणी क्षेत्र अंतर्गत है, जिस हेतु प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यक है। सुधार करें।

5. प्रपत्र–4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया है, परन्तु रोजगार विवरण आवेदन फार्म आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रपत्र–4 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जावे।

ऑफलाईन कमियां :—

1. प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–11 (पृष्ठ क्रमांक–35) में वन की वैधानिक स्थिति राजस्व वन भूमि दर्शित है, जबकि उक्त क्षेत्र में कोई भी राजस्व वन भूमि नहीं आ रहा है, का सुधार करें एवं हरियाली का घनत्व निरंक लेख किया है, जबकि आनलाईन में घनत्व 0.5 दर्शित है। सुधार कर प्रेषित करें।

2. प्रपत्र–4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया है, परन्तु रोजगार विवरण आवेदन फार्म आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रपत्र–4 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जावे।

3. चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत आता है, इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत हेतु मुख्य वन संरक्षक दुर्ग के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। अतः कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नः– प्रस्ताव 03 प्रति में मूलतः

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए /115–936/ 2576 नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)** एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर छ.ग.।
3. Telesonic Networks Limited, 3rd & 4th Floor, Scheme No.. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़